प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **184/2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Narendra Singhvi Add. 66-K, Singhvi house, first floor, indise saheliyon ki bari, Bali, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक:20-01-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 32983002422151 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6945157077 दिनांक 24.12.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/184/24/1487–88 दिनांक 24.12.2024 से लिखा गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/114 दिनांक 20.01.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.11.2025 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर भूमि का सीमांकन तहसीलदार बारापाल द्वारा किये जाने के संबंध में सूचना चाही गई है। उक्त आवेदन में चाही गई सूचना पत्रावली या रिकार्ड से संबंधित ना होकर तहसील कार्यालय बारापाल द्वारा भूमि का सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में होने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2024/3429 दिनांक 16.12.2024 से अवगत करा कर भूमि सीमांकन की कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय में सम्पर्क करने हेतु लिखा गया, इस संबंध में प्रार्थी को आरटीआई पोर्टल पर पत्र प्रेषित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि "the SPIO/ASPIO not provided the desired details/information and documents etc. under RTI Act 2005 within 30 days period as specified in RTI Act. 2005. The transfer of application is permitted by the SPIO/ASPIO within 5 days as per section 6(3) of RTI Act. 2005 if it is closely connected to another SPIO/ASPIO. In the above case the letter was issued by the the SDO Girwa, Udaipur to the Applicant mr. Narendra Singhvi

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी

bearing number ASPIO/2024/3729 dated 16.12.2024 insted of transfer of application to another SPIO/ASPIO who is the Tehsildar Barapal, Udaipur (RTI application bearing number: 329415287819252 dated 25.11.2024) for providing of desired details/information and documents etc. Where as time frame period specified in RTI Act. 2005 is only 5 days for transfer of application to another SPIO/ASPIO who seems to be closely connectd for providings of desired details, information and documents etc. AS per under section 6(3) of the RTI Act. 2005 directly instad of sending letter to the applicant (Mr. Narendra Singhvi). The letter addressed directly to the applicant is wrong because it should be addressed to another closely connected SPIO/ASPIO. We therefore request your king honour to please admit the appeal and necessary directions/instructions may kindly be given to the SPIO/ASPIO to provide the desired details/informations/documents etc. free of cost. We will glad to submit more details if desired by your kind honour. Your kind immediated action, cooperation adn support would be highly appreciated.

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्रावली या रिकार्ड से संबंधित ना होकर तहसील कार्यालय बारापाल द्वारा भूमि का सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 3729 दिनांक 16.12.2024 से अवगत करा कर भूमि सीमांकन की कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय बारापाल में सम्पर्क करने हेतु लिखा गया है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी रिकार्ड या पत्रावली से संबंधित नहीं होकर भूमि के सीमांकन की कार्यवाही से सम्बंधित है। भूमि सीमांकन की कार्यवाही तहसीलदार बारापाल से संबंधित होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को तहसीलदार बारापाल के कार्यालय में सम्पर्क करने हेतु निर्धारित समयावधि में सूचित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह भूमि के सीमांकन की कार्यवाही हेतु तहसील कार्यालय बारापाल में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर